

उज्ज व सफाई मुलजिम नं.  
(किमिनिल प्रोसीजर कोड सन् 1898 दफा 255 व 256)

जुर्म पढकर सनाये व समझाये जाने पर मुलजिम -----

बाप का नाम ----- यह बयान करता है कि

वह चाहता है कि ----- मुस्तगीज से गवाह जिनकी/जिसकी/गवाही है/हो चुकी, जिरह  
नीवे लिखे हुए  
कोई भी

के लिये फिर से बुलाये जाय/न बुलाये जाय.

अपनी सफाई देने के लिए कहे जाने पर वह कहता है कि—

फर्द जुर्म एक \*  
(किमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898, दफा 221, 22 व 223)

मैं----- मजिस्ट्रेट

दर्जा ----- इस तहरीर के जरिये तुम

----- वल्द -----

पर नीचे लिखे मुआफिक जुर्म लगाता हूँ:-

कि तुमने तारीख ----- माह ----- सन् ----- ई. के उसके करीब

मुकाम -----

और ऐसा करने से तुमने वह जुर्म किया जोकि दफा

-----  
के अंदर सजा के काबिल है और जो मेरे अख्तियार में है। मैं इस तहरीर के जरिये हुक्म देता हूँ कि तुम्हारी समाअत उपर लिखे जुर्म में की जाये।

(मुहर)

मजिस्ट्रेट

.....  
. दो या अधिक जुर्मों के लिए देखे फॉर्म नं. 28, शेड्यूल 5, किमिनल प्रोसीजर कोड, सन् 1898

WITNESS BATTA CERTIFICATE

CERTIFIED THAT.....

Employed in the office of .....

appeared before me as a witness in an civil case is which Governmet was a party/criminal case for .....days from..... to .....in his public capacity and that the amount noted below was remitted to the head of his office along with the summons, viz on account of -

Rs. ....

(1) Travelling allowance

(2) Subsistence allowance under the rules of the court.

TOTAL,

.....

.....

Date.....

The ..... 19

Presiding Officer

[Note-Where no remittances can be made under the rule of the Court, the word 'Nil' may is written against (1) and (2) above, but the certificate ever in such cases required to check claims to travelling allowance.]

गवाह की गिरफ्तारी का वारन्ट  
(सिविल प्रोसीजर कोड, सन् 1908 ई., आर्डर 16)  
दीवानी मुकदमा नम्बर

अदालत जनाब -----

----- मुद्दई

----- मुद्दालेह

बनाम बेलिफ अदालत

जो कि गवाह -----

समन्स का हुक्म नहीं माना है

ने कायदेनुसार तामिल किये हुए ----- इस लेख के जरिये तुम्हे

समन्स टालने के लिये छिपता रहता है

हुक्म दिया जाता है कि तुम उपर लिखें -----को गिरफ्तार करो और

अदालत के सामने हाजिर करो और यह भी हुक्म दिया जाता है कि तुम इस वारन्ट पर उसकी तामिली किस

दिन और किस तरह की गई या तामिली न की गई हो तो उसका सबब लिखकर तारीख -----

माह -----सन् 20 को या उसके पहले वापिस करो, हमारे दस्तखत और अदालत की

मोहर से आज तारीख ----- माह -----सन् 20 को जारी किया गया.

(मोहर)

जज

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES  
TO APPEAR IN PERSONS

(Code of Civil Procedure Order V Rules I and 5  
Rules 7 )

Code Suit No. ....of 20

IN THE COURT OF .....

Plaintiff

Vs

Defendant

To, .....  
.....  
.....

Whereas the plaintiff above named has instituted a suit against you  
for ..... you are hereby  
summoned to appear in this Courts in person\* or by pleader duly instructed and  
able.

.....

\* Strike out what is not applicable.

to answer or accompanied by some person able to answer all maternal question relating to the sum of the .....day of .....20 at 11 A.M. to answer the claim and you are directed to produce on the day all the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that in default of appearance as aforesaid the suit will be heard and determined in your absence

Given under the seal of the Court, this .....day of .....20

(Seal)

Judge

## गिरफ्तारी वारंट

(किमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898 ई. दफा 75 और 76)

अदालत -----मजिस्ट्रेट ----- दर्जा -----

बनाम -----

जोकि ----- वल्द -----

जाति -----साकिन ----- पर -----

जुल्म का इल्जाम लगाया है कि-

इस तहरीर के जरिये हुक्म दिया जाता है कि उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो,

अगर वह अपनी ओर से रूपये ----- का मुचलका लिखकर <sup>एक जामिन</sup> -----  
दो जामिनों में से हर एक

की रूपये -----की जमानत इस बात की दे कि वह हमारे सामने तारीख  
-----माह -----सन् 20 ई. को हाजिर होगा और जब तक कि  
हम हाजिरी से माफ न कर दें.

तब तक ही इस तरह होता रहेगा तो उसे छोड़ दो ऐसा करने के न चूको.

हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख.....माह.....सन् 20  
को जारी किया गया.

मोहर

मजिस्ट्रेट

अगर जमानत मंजूर करना न हो तो इस हिस्से को काट दीजिये.

सबब बताने के लिए नोटिस  
(मामूली नमूना)

अदालत जनाब.....

दीवानी मुकदमा  
ज्यूडिशियल केस  
मिसलेनियस अपील



नम्बर

सन् 20

.....बनाम .....

बनाम.....

“क्योकि.....

उपर लिखित मुकदमें के .....

इस अदालत की दरखास्त की है कि .....

इसलिये तुम्हे नोटिस दिया जाता है कि तुम खुद या मार्फ्त किसी वकील के जिसे मुकदमें के हाल अच्छी तरह समझा दिया गया हो तारीख .....माह .....सन् 20 को दिन के 11 बजे इस अदालत में हाजिर होकर दरखास्त के खिलाफ सबब बतलाओ नहीं तो उसकी तुम्हारी गैर हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जावेगा.

इस अदालत की मोहर से आज तारीख .....माह.....सन् 20 को जारी किया गया.

मोहर

जज



जेल वापिस भेजने बाबत वारन्ट  
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सन् 1898 दफा 344)

अदालत साहब.....मुकाम.....

बनाम सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब, जेल मुकाम.....

जोकि .....

.....उमर .....साल,

जात.....पेशा .....

पता .....है

मामले में जिस पर जुर्म दफा .....लगाया गया है

आज हुक्म हुआ है कि वह मामला तारीख .....माह..... सन् 20

ईसवी तक मुल्तबी रखा जाय।

इसलिये तुमको इस तहरीर के जरिये हुक्म दिया जाता है कि तुम मुलजिम मजकूर को अपनी हिरासत में रखो और उसको उपर लिखी हुई तारीख पर इस अदालत में हाजिर करो।

आज तारीख .....माह.....सन् 20..... ई.

मोहर

मजिस्ट्रेट

LIST OF DOCUMENTS ADMITTED IN EVIDENCE FOR PLAINTIFF  
DEFENDANT

Distinguishing Mark (1)	Description of documents (2)	Date of admission (3)	Remarks (4)

REQUISITION FOR RECORDS OF LOWER COURT

Office of the .....

No.....

Dated the .....20

To,

The .....

The undersigned requests the favour of immediate submission of records noted below :-

Judge

Description of Records

**WARRANT OF COMITMENT TO IMPRISONMENT  
IN DEFAULT OF PAYMENT OF FINE**  
(The Code of Criminal Procedure 1898, Section 33 )

In the Court of .....

To The Superintendent of the jail at.....

Whereas.....son of .....  
aged.....caste.....address.....

.....  
was convicted before me of the offence of .....  
punishable under .....and was sentenced to a  
fine of Rs. ....and in default of payment of the fine to.....  
imprisonment for a term of .....

and whereas <sup>The entire fine</sup>..... is still due and unpaid.  
the sum of Rs. ....

You are hereby required to receive the said convict into your custody in  
the aforesaid Jail together with this warrant, and to detain him there in  
imprisonment until the .....day of .....20 .....  
unless the unpaid fine aforesaid or any portion of it, be mean while realized or  
paid in which case the imprisonment will terminate as provided by the Indian  
Penal Code, section 68,69.

Dated the ..... day of .....20 .....

Seal

Magistrate

---

On recovery the fine should be credited into treasury.

डिक्री के इजराय के लिए गिरफ्तारी वारन्ट  
(सिविल प्रोसीजर कोड सन् 1908 ई. आर्डर 21 रूल 38)

दीवानी मुकदमा ..... नम्बर  
मतफलति मुकदमा

सन् 20

अदालत जनाब .....

.....डिक्रीदार

.....मदयून—डिक्री

बनाम बेलिफ (कुर्क अमीन) अदालत,

जो कि ..... मुकदमा ..... नम्बर

सन् 20

की इस

अदालत

मामला

तारीख ..... माह ..... सन् ..... को

दी हुई डिक्री में उपर दिखाए मदयून—डिक्री को उपरोक्त को नीचे के हाशिए में लिखे अनुसार

.....रूपये की रकम अदा करने का हुकम हुआ है क्योंकि उपर लिखी हुई रकम

उपरोक्त डिक्री की अदाई में उक्त डिक्रीदार को अदा नहीं की गई.

	रूपये	पैसे
असल में .....		
ब्याज .....		
खर्च .....		
इजराय .....		
जुमला.....		

इसलिये इस लेख के द्वारा तुम्हे हुक्म किया जाता है कि उपरोक्त मदयून-डिक्री को गिरफ्तार करो और अगर उपरोक्त मदयून-डिक्री रूपये.....की उपरोक्त रकम और रूपये बाबद खर्चा इजराय इस प्रोसेस के तुम्हे अदा न की तो इस मदयून को सहूलियत के साथ यथा शक्ति फूर्ती से अदालत के सामने हाजिर करों

तुम्हे यह भी हुक्म दिया जाता है कि इस वारंट पर उसकी तामिली किस दिन और किस प्रकार की गई या उसकी क्यों न हो सकी इस बाबद रिपोर्ट लिखकर वारंट तारीख..... माह.....सन् 20..... को या उसके पहिले वापिस भेज दो,

हमारी दस्तखत और इस अदालत की मोहर से आज तारीख .....माह..... सन् 20 को जारी किया गया.

(मोहर)

जज

पक्ष डिक्री के इजराय में मनकूला जायदाद जो मदयून-डिक्री के कब्जे  
में हो उसे कुर्क करने का वारंट

(सिविल प्रोसीजर कोड सन् 1908 ई. आर्डर 21 रूल 30)

दीवानी मुकदमा नं. ....सन् 20 ई.

अदालत जनाब .....

.....डिक्रीदार.....

मदयून-डिक्री बनाम बेलिफ अदालत

क्योकि इस अदालत ने तारीख.....माह.....सन् 20 को मुकदमे में दी हुई डिक्री के द्वारा उपर लिखे मुकदमे में मदयून-डिक्री को हुक्म दिया गया था कि वह हाशिया में लिखे अनुसार रकम रूपये

	रूपये	पैसे
असला .....		
ब्याज .....		
खर्चा .....		
इजराय खर्चा .....		
आगामी ब्याज .....		
कुल		
कुल		

(डिक्रीदार) को देवें और क्योकि वह रूपये की रकम नही दी गई है, इस लेख के द्वारा तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम उपर लिखे मदयून-डिक्री की मनकूला जायदाद, जिसका वर्णन नीचे दी हुई फेहरिस्त में दिया है या जिसे उपर लिखा डिक्रीदार तुम्हें दिखलाये, कुर्क करो और जब तक मदयून-डिक्री मजकूर उपर लिखी हुई रकम रू..... मय कुर्की के खर्च की रकम रू. .... तुम्हें अदा न कर दें या जब तक अदालत से दूसरा हुक्म न हो तब तक उस जायदाद को कुर्क किये रहो.

तुम्हें और यह भी हुक्म दिया जाता है कि तुमने इस वारंट की तामीली किस दिन और किस तौर से की या उसकी तामीली क्यों न हो सकी इसकी रिपोर्ट वारन्ट पर लिखकर उसे तारीख .....माह.....सन् 20 या उसके पहिले वापिस भेजो.

हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख .....माह.....सन् 20..... को जारी किया गया,

(मोहर)

जज

फेहरिस्त



Witness No.....for .....Deposition  
taken this .....day of .....20 ..... Witness's  
apparentage .....States on  
affirmation/My name is.....  
Son of .....Occupation.....  
address.....

गवाह नम्बर.....की .....तरफ से शहादत  
आज तारीख .....माह.....सन्.....ई. को ली गई। गवाह  
करीब.....साल की उम्र का मालूम होता है।

हलफ से जवाब करता है। मेरा नाम.....

वल्द.....जात.....पेशा.....

पता.....

गवाह का समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड सन् 1908 आर्डर 16, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा नम्बर

सन् 20

अदालत जनाब .....

.....मुद्दई

.....मुद्दालेह

बनाम.....

क्योकि तुम मुद्दई मजकूर की तरफ से इस अदालत में तारीख.....माह.....  
मुद्दालेह

सन् 20 को दिन के 11 बजे—

- बतौर गवाह खुद हाजिर होने के लिये
- खुद हाजिर होकर इस समन्स के पीछे लिखा हुआ दस्तावेज कराने के लिये
- इस समन्स के पीछे लिखा हुआ (लिखे हुये) दस्तावेज दाखिल करने के लिये तलब किये गये हो।

तुम्हारे सफर और दीगर खर्च के लिये और एक दिन की खुराक के लिये रुपये..... इस समन्स के साथ भेजे गये है। अगर तुम किसी जायज उजर के सिवाय इस हुक्म की तामील न करोगे तो तुम्हें गैरहाजिरी के वे परिणाम भुगतना पड़ेंगे जोकि सन् 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड के आर्डर 16, रूल्स 12 में लिये गये है। दस्तावेजों की फेहरिस्त पीछे दी गई है।

आज तारीख .....माह.....सन्.....को अदालत की मुहर से जारी किया गया

(मुहर)

दस्तावेजों की फेहरिस्त

जज

---

लागु होने वाले मजमून को निशानी में बताओं.

**DECREE IN ORIGINAL SUIT**  
(Code of Civil Procedure 1908, Order XX Rules 6 and 7)  
Civil Suit No. ....of 20

THE COURT OF .....Plaintiff

Claim for- ..... Defendant

This suit coming on this day for final disposal before me in the presence  
of

(for the plaintiff) Shri

(for defendant) Shri

It is ordered and decreed that

and that the sum of Rs.

be paid by the DEFENDANT  
PLAINTIFF

to the DEFENDANT  
PLAINTIFF

on account of costs of this suit with interest thereon at the rate of

percent per annum from this date of realization

Given under my hand and the seal of the Court this                      day of      20

Judge

**COSTS OF SUITS**

<b>PLAINTIFF</b>			<b>DEFENDANT</b>		
	<b>Rs.</b>	<b>P.</b>		<b>Rs.</b>	<b>P.</b>
1. Stamp for plaint			Stamp for powers		
2. Stamp for application & affidavit			Stamp for exhibits		
3. Stamp for powers			Stamp for petitions 1		
4. Stamp for exhibits			Pleader's fees		
5. Pleader's fee on Rs.			Subsistence for witness		
6. Subsistence or witnesses			Service of process		
7. Commissioner's fee			Commissioner's		
8. Service of process					
<b>Total</b>			<b>Total</b>		

## TABLE OF CONTENTS

Court.....District.....  
 Suit.....Case.....Appeal No. ....20.....  
 Name of 1st Plaintiff or Applicant .....  
 Name of 1st Defendant or opposite party.....

Class		File		
Serial No. of Paper	Sheets	Description	Value of Courts fee Stamps	Remarks
Total Value of Court fee Stamps.....		On Plaintiff.....		
		On other Papers		

Signature of Court Reader  
 Dated.....20

Compared and found correct  
 Record-keeper

न्यायालय .....

दा. प्र. क्रमांक .....

राज्य विरुद्ध.....

पेशी दिनांक .....

थाना- .....

प्रारूप संख्या 33

साक्षी को समन

(धारा 61 और 244 देखिए)

प्रेषिती .....

.....  
(स्थान का) .....नाम

मेरे समक्ष परिवाद दायर किया गया है कि .....

(पता) के .....(अभियुक्त का नाम) ने

.....(समय एवं स्थान सहित

अपराध थोड़ें में लिखिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिये तात्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें।

इसलिये आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषया से संबद्ध आप जो कुछ जानते हो उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने में उपेक्षा की या उससे इंकार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारन्ट जारी किया जाएगा।

तारीख.....

हस्ताक्षर

(न्यायालय की मुद्रा)

EXAMINATION OF ACCUSED NO. ....

(Code of Criminal Procedure 1898, Section 364)

My name is .....Son of.....

Aged.....(Courts estimate of apparent age.....Years )

I am by occupation .....

Address.....

.....

**ORDER BY APPELLATE COURT REMANDING A CASE FOR  
SECOND DECISION**

**( Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 23 )**

**IN THE COURT OF**

**APPEAL No. \_\_\_\_\_**

**Appellant**

**Vs.**

**Respondent**

Appeal from the decree of the Court of

Dated the \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Civil Suit No. \_\_\_\_\_

This appeal coming on for hearing before me on the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

In the presence of \_\_\_\_\_

For the appellant and of \_\_\_\_\_

For the respondent, it is ordered that the decree of the lower Court \_\_\_\_\_ be reversed and that the case be remanded to that Court for a second decision upon the merits.



The appellant will receive a certificate under section 13, Act VII of 1870. The costs of this

appeal as detailed below will be borne by

and the costs of the original suit will be

Given under my hand and the seal of the Court, this

**COST OF APPEAL**

Appellant	Amount	Respondent	Amount
1- Stamp for memorandum of appeal objections of petitions		Stamp for petitions	-
2- Application		Stamp for power	-
3- Stamp for power		Service of processes	-
4- Stamp for exhibits		Pleader's fee on Rs.	-
5- Service of processes			
6- Pleader's fee on Rs.	-		
7- Translation fees			
<b>Total</b>		<b>Total</b>	-

Judge

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE  
( CIVIL PROCEDURE CODE 1908, XLI, RULE 35)

CIVIL APPEAL NO.                      OF

IN THE COURT OF

**APPELLANT**

**Vs**

**RESPONDENT**

**APPEAL FROM THE DECREE OF COURT**

DATED THE                      DAY OF                      IN CIVIL SUIT NO.

THIS APPEAL COMING ON FOR HEARING ON THE                      DAY OF

BEFORE                      IN THE PRESENCE OF

FOR THE APPELLANT

FOR THE RESPONDENT

IT IS ORDERED AND DECREED THAT

THE COSTS OF THIS APPEAL, AS DETAILED BELOW AMOUNTING TO RUPEES

ARE TO BE PAID BY THE

THE COST OF THE ORIGINAL SUIT BE PAID BY THE

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COURT, THIS

DAY OF –

**COSTS OF APPEAL**

PLAINTIFF	AMOUNT	DERENDANT No.1,2	AMOUNT
1- STAMP OF MEMORANDUM OF OBJECTIONS OF PETITIONS		2- STAMP FOR POWER	
2- APPLICATION		2- STAMP FOR PETITION	
3-STAMP FOR POWER		3- STAMP FOR PETITION	
4- STAMP FOR EXHIBITS		4- APPLICATION	
5- SERVICE OF PROCESSES'		5-PLEADER'S FEE ON	
6- PLEADER'S FEE ON			
7- TRANSLATION FEE			
<b>TOTAL</b>			

Judge

**WARRANT IN SUPERSESSON OF PREVIOUS WARRANT**  
*(The Code of Criminal Procedure, 1898, Section 395, 423 and 439)*

**IN THE COURT OF :**

TO, THE SUPERINTENDENT OF THE :

WHERE as-----Son of -----  
caste-----age-----years,address-----  
-----  
prisoner in the Jail at-----was  
convicted of -----  
**under Section** \_\_\_\_\_ **of the** \_\_\_\_\_ on the -----day of  
-----20-----and was sentenced to  
-----and whereas  
the Court of ----- as on **Appeal/revision**  
under the Code of Criminal Procedure, Section  
-----directed that **the**  
**conviction under** ----- **be**----- **and**  
**that the sentence**-----

You, are hereby informed accordingly, and required to give effect the direction of the Superior Court as aforesaid in supersession of the direction contained in the warrant under which you now hold the prisoner and which you will now return to this Court. When the Warrant has been fully executed, you are to return it to this Court with an endorsement under signature certifying the manner in which the sentence has been executed.

Dated the day of

**(Seal)**

**Magistrate**

**कैद की सजा होने पर जेलखाने में भेजने का वारंट**  
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् दफा 383)

अदालत जनाब.....

बनाम सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेल.....

जोकि.....वल्द.....

उमर ..... जाति ..... यह आदमी मेरे सामने

के जुर्म के जिसकी कि सजा .....में मुकर्रर की गई है, गुनहगार

ठहराया गया है और उसे .....की मियाद के लिये

.....कैद और रूपया .....का जुरमाना (और जुरमाना

की रकम उपर कही हुई मियाद के अंदर वसूल न हो तो और .....

की मियाद .....कैद) की सजा हुई है।

इसलिये इस तहरीर के जरिये तुम्हें हुक्म होता है कि मुजरिम मजकूर को इस वारंट के साथ जेलखाने मजकूर में अपनी हिरासत में लेकर वहां उपर लिखी हुई सजा की तामील कानून के अनूसार करो।

अगर जुरमाना मजकूर या उसका कोई हिस्सा बीच में वसूल \* या दाखिल हो जाय तो वह कैद की सजा, जोकि जुरमाना अदा न करने की हालत में दी गई हो, इंडियन पीनल कोड की दफा 68 और 69 की तजबीज के मुताबिक खतम हो जायगी। सजा की तामीली पूरी तौर से हो जाने के बाद उसकी तामीली किस तरह की गई, इसकी दस्तखती रिपोर्ट इस वारंट पर लिखकर वारन्ट इस अदालत मे वापिस भेज दो।

आज तारीख .....माह.....सन् 20

अदालत के मुख्य अधिकारी  
के पूरे दस्तखत

(मोहर)

---

जूरमाने की रकम वसूल होने पर खजाने में जमा करनी चाहिये।

**क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की दफा 384 के अनुसार  
जेलखाने मे भेजने का वारंट की रिपोर्ट का नमुना**

**JAIL ENDORSEMENTS**

Number in District Jail.....			
Number in Central Jail.....			
Name.....	मुकदमें के सबूत की	किंस्म	गुनहगार
Sentence.....	बुनियादी पर कैदी का	वजुहात के साथ	
Date of Sentence.....	साधारण चाल-चलन	बन्दी या दीगार	जुर्म का
Date of Release.....	(देखो कि सक्यूं 1-22)	गुनहगार (देखो कि सक्यूं 1.32 जिन्हें	मुख्तसर खुलासा
.....Jailor		ताजिन्दगी कालेपानी	
.....Jail		की सजा हुई तो ऐसे	
Transferred to .....Central Jail		मुलजिमों के बारे में	
Remission Earned till the date.....		कि सक्यूं 1-33 भी	
equal to .....Months.....Days		देखों)	
.....Superintendent			
.....Jail			
Received .....Jail on.....	List of Property		
Warrant checked by .....	(Paragraph 378		
.....Assistant Jailor	of the Jail		
	Manual)		
Released on .....			
Remission earned .....			
Superintendent .....			
Superintendent of	Jail		
Dated.....200			

\* Appeal Expiry remission payment of fine

तारीख.....

माह.....सन् 20

अदालत के मुख्य अधिकारी के  
पूरे दस्तखत

**ORDER OF PAYMENT**

(The Code of Criminal Procedure, 1898 Section 544)

V-191  
Cr. J. (E.)

In the Court .....

To the Nazir .....

Name & Profession (1)	Class (Cr. Circular 1-41) (2)	Place of residence and distance thereof from the Court (3)	Diet Amount			Trevelling expenses			Total amount payable Column 6 and 9 (10)	Acknowledgment of payment (11)
			No. of days to which payable (4)	Rate at which payable (5)	Amount (6)	By Rail (7)	By Road (8)	Amount (9)		
		Total...								

Paid in my presence

Date.....Judge  
Magistrate

(Seal)

Date.....Judge  
Magistrate